—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 54/2018

उनवान

मथरा पुत्री छोटी पत्नी हंगामीलाल जाति बैरवा निवासी 285, चमार घाटी, ग्राम जामोला तहसील मसूदा

—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव

बनाम

1. किशना पुत्र बिरदा
2. रंगलाल पुत्र बिरदा
3. सूण्डा पुत्र कजौड
4. कैलाश पुत्र सुण्डा समस्त जाति चमार (बैरवा) निवासी चमार मौहल्ला, भटियानी, नसीराबाद
5. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 से 3 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
5 जरियें राज. पैरोकार, 4 अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 3.2.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भटियानी के हाल खसरा नम्बर 2723/3568, 2763, 2766 किता 3 रकबा 1.22 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी प्रार्थी की माता से जरियें दान पत्र प्रार्थी को प्राप्त हुयी है। अप्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने के कारण जवाब बंद किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :—

ग्राम भटियानी के हाल खसरा नम्बर 2723/3568, 2763, 2766 किता 3 रकबा 1.22 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी प्रार्थी की माता से जरियें दान पत्र प्रार्थी को प्राप्त हुयी है। प्रार्थी आराजी मुतनाजा के काश्तकार है।

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:26:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अप्रार्थीगण उक्त आराजी का बैचान नही कर सकते है। अप्रार्थीगण द्वारा आराजी मुतनाजा पर क्या दखलदांजी की जा रही है यह प्रार्थी ने स्पष्ट नही किया है। शेष तथ्य मूल वाद में सारू आदि से ही सिद्व होगे। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा प्रार्थी की खातेदारी की है। अप्रार्थीगण द्वारा आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी के तथ्य मूल वाद में साक्ष्य से सिद्व होगे। प्रकरण में विशेष परिस्थितिया प्रार्थी स्पष्ट नही कर पाये है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– ग्राम भटियानी के हाल खसरा नम्बर 2723/3568, 2763, 2766 किता 3 रकबा 1.22 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:26:14 IST
Reason: SelfAttested